Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 97-2017/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 5 जून, 2017
(14 ज्येष्ठ, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4).	167
	2. हरियाणा पशु मेला (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9).	169
	3. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10). (केवल हिन्दी में)	171
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जून, 2017

संख्या लैज. 4/2017.– दि हरियाणा लॉ ऑफिसरज (इन्गेजमेन्ट) अॅमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 मई, 2017, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2017
हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

(2) यह 14 सितम्बर, 2016 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2016 के हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 6 का संशोधन।

2. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 की उप–धारा (3) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :–

''(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नियोजित किसी विधि अधिकारी, जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है, को चयन समिति, जो महाधिवक्ता से उसके संतोषजनक कार्य और आचरण के बारे में रिपार्ट प्राप्त करेगी, की सिफारिश पर अवधि का विस्तार प्रदान किया जा सकता है:

परन्तु कोई भी ऐसा विस्तार तब तक नहीं होगा जब तक वह ऐसे मानदण्ड, जो नए विनियोजन के लिए विहित किया जाए, को पूरा नहीं करता है।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55372—L.R.—H.G.P., Chd.